

## —उन्यासी—

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—5  
संख्या:—सं0वि0क0नि0—5—5322 / 11—2006—500(116) / 2003  
लखनऊ दिनांक 25 जनवरी, 2006

अधिसूचना  
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78—क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 20 मई, 2005 से सरकारी अधिसूचना संख्या: क0नि0—5— 896 / 11 — 2005—500(116) / 2003 दिनांक 20 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

### संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में शब्द “जो किसी चीनी मिल में तीन सौ पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करती है” के स्थान पर शब्द “जो किसी चीनी मिल/मिलों में तीन सौ पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करती है” रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
ह०अस्पष्ट  
(अतुल चतुर्वदी)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या—सं0वि0क0नि0—5—5322(1) / ग्यारह—2005—500(116) / 2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसको दिनांक 25 जनवरी, 2006 के असाधारण गजट के भाग—4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
ह०अस्पष्ट  
(शिशिर कुमार यादव)  
उप सचिव।

### संख्या—सं0वि0क0नि0—5—5322(2) / 11—2006—500(116) / 2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रमुख सचिव चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2— आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही कृपया उन्हें कृपया यह भी निर्देशित करने

का कष्ट करें कि सम्बन्धित जनपद के उपनिबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5— शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6— विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7— विधायी अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8— सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
- 9— अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12सी, माल एवेन्यू लखनऊ।

आज्ञा से,  
ह०अस्पष्ट  
(शिशिर कुमार यादव)  
उप सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN  
SANSTHAGAT VITT, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the government notification no. S.V.K.N.5-5322/11-2006-500(116)/2003 dated January 25, 2006 for general information.

**No. S.V.K.N.5-5322/11-2006-500(116)/2003**  
**Lucknow, Dated January 25, 2006**  
**Notification**  
**Order**

In exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect from May 20, 2005, the following amendment is Government notification no. K.N. 5-896/11-2005-500(116)/2003 dated May 20, 2005 :-

**AMENDMENT**

In the aforesaid notification, in the first para, for the words, "who either invests rupees three hundred and fifty crore or more in a sugar mill", the words, "who invests rupees three hundred and fifty crore or more in sugar mill/mills" shall be substituted.

By order,  
Sd/-Illegible

(Atul Chaturvedi)  
Pramukh Sachiv.